



- **KGBV** :- अनावर्ती एवं आवर्ती मद् में कुल 647 के ०जी०बी०भी० को कुल राशि 197.70 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु निर्गत दिशा-निर्देश ज्ञापांक KGBV/52/2019-20/2725, दिनांक 20.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
- **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय उत्क्रमित छात्रावास** :- अनावर्ती एवं आवर्ती मद् में 15 NJSCB को कुल राशि 6.75 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु निर्गत पत्र AIE/08/2018-19/4897 दिनांक 22.07.2023, Accts/201/2025-26/2280, दिनांक 26.05.2025 एवं A&ST/49/2025-26/2498, दिनांक 09.06.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **CRC Grant** :- CRC Grant अंतर्गत कुल 8774 CRC को 04 गतिविधियों के लिए कुल राशि 37.73 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु निर्गत पत्रांक E-374127/Quality/92 /2025-26/4375, दिनांक 12.09.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **BCR Grant** :- BCR Grant अंतर्गत कुल 537 BRC को 04 गतिविधियों के लिए कुल राशि 11.85 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु निर्गत पत्रांक पत्रांक E-330265/ Quality/64/2025-26/2720, दिनांक 26.06.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **Twinning of School** :- इस कार्यक्रम अंतर्गत सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को रूपये 10,000/- प्रति विद्यालय की दर से कुल 6470 विद्यालय को कुल राशि 6.47 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु पत्रांक E-33337/Quality/344/2025/4078, दिनांक 01.09.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **राष्ट्रीय अविष्कार अभियान** :- राष्ट्रीय अविष्कार अभियान अंतर्गत 38 जिलों, 537 प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों एवं 6470 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि 5.26 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु कार्यालय पत्रांक Accts/201/2025-26/5603, दिनांक 02.12.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत** :- एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि अंतर्गत कुल 538 BRC को कुल राशि 26.85 लाख रूपये का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु कार्यालय पत्रांक E-337010/Quality/Kala Utsav/2023/4555, दिनांक 22.09.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **Youth & ECO Club** :- इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 72119 विद्यालय को कुल राशि 61.77 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु पत्रांक Accts/201/2025-26/4520 दिनांक 22.09.2025 पत्रांक 1724 दिनांक 12.04.2025 एवं Quality/319/2025-26/1815 दिनांक 23.04.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **IE- Sparsh** :- इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 38 जिलों के 38 विद्यालयों को कुल राशि 1.42 करोड़ का Drawing Limit दिया गया है, जिसके ब्यय हेतु पत्रांक Accts/201/2025-26/2882 दिनांक 01.07.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।
- **Equity - Adolescent Programme for Girls** :- इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 38 जिलों के 6416 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि 4.49 करोड़ का Drawing Limit के निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके ब्यय हेतु पत्रांक Equity/93/2025-26/5998 दिनांक 30.12.2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।



वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरुद्ध व्यय का ससमय नियमानुसार सदृपयोग करने के संबंध में राज्य स्तर से जिला स्तर एवं जिला स्तर से BRC, CRC, KGBV, NJSCB, VSS/SMDC पर किये जाने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operation Procedure) निम्नवत् है :—

1. राज्य स्तरीय कार्यालय पर किये जाने वाले कार्य :—

- i. सभी संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय अपने—अपने संभाग अंतर्गत निर्धारित कराये गये Drawing Limit का अनुमोदित बजट के प्रावधानित गतिविधि के अनुरूप ससमय नियमानुसार व्यय कराने हेतु जिला के संभाग प्रभारी के साथ समीक्षा करेंगे।
- ii. संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरुद्ध व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय का जिलावार, मद्वार अद्यतन प्रतिवेदन राज्य कार्यालय के लेखा शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
- iii. संभाग प्रभारी, राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा व्यय इकाई के द्वारा किये गये व्यय की प्रविष्टि जिलावार, मद्वार जिलों के माध्यम से PRABANDH पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
- iv. असैनिक कार्य प्रबंधक (CWM) का दायित्व होगा कि असैनिक निर्माण कार्य हेतु BSEIDC को समग्र शिक्षा के अनुमोदित बजट के विरुद्ध दी गई अग्रिम राशि के व्यय उपरान्त BSEIDC से मद्वार, जिलावार सूची सहित उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर समायोजन एवं जिला को डेबिट नोट निर्गत करने हेतु लेखा शाखा को संचिका उपलब्ध करायेंगे। साथ ही निर्गत डेबिट नोट की प्रविष्टि जिला के माध्यम से प्रबंध पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
- v. राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा SCERT/DIET को निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरुद्ध किये गये व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं अग्रिम समायोजन हेतु आदेश प्राप्त कर लेखा शाखा को उपलब्ध करायेंगे, साथ ही PRABANDH पोर्टल पर जिलों के माध्यम से जिलावार, मद्वार प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. जिला स्तरीय कार्यालय पर किये जाने वाले कार्य :—

- i. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरुद्ध व्यय का अनुश्रवण करेंगे एवं नियमानुसार व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ii. जिला स्तरीय कार्यालय के लिए प्राप्त Drawing Limit को अनुमोदित बजट में प्रावधानित गतिविधि में ही व्यय किया जाय। साथ ही समय—समय पर राज्य कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र/मार्गदर्शन के आलोक में नियमानुसार व्यय किया जाय।
- iii. Child Agency यथा BRC, CRC, NJSCB, KGBV एवं VSS/SMDC हेतु PFMS पोर्टल पर जिला को प्राप्त Drawing Limit का दो दिनों के अंदर Child Agency को निर्धारित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- iv. व्यय इकाई (Child Agency) को Drawing Limit निर्धारित करने हेतु संबंधित संभाग प्रभारी सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् Drawing Limit के निर्धारण हेतु संचिका जिला के लेखा शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
- v. संबंधित व्यय इकाई को Drawing Limit के विरुद्ध नियमानुसार ससमय व्यय करने हेतु राज्य कार्यालय से प्राप्त पत्र/दिशा—निर्देश/मार्गदर्शन के आलोक में जिला द्वारा पत्र/मार्गदर्शन/दिशा—निर्देश निर्गत किया जाय।





- vi. जिला कार्यालय ऐसी व्यवस्था विकसित करे कि व्यय इकाई को ससमय प्राप्त राशि का मद् एवं व्यय किये जाने संबंधी निर्गत पत्र/दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- vii. जिला कार्यालय व्यय इकाई को निर्धारित की गई Drawing Limit का मद्वार, विद्यालयवार, प्रखंडवार Google Sheet तैयार कर प्रखण्ड कार्यालय के साथ साझा करेंगे एवं जिला कार्यालय प्रतिदिन व्यय का मद्वार, इकाईवार, प्रखंडवार अद्यतन प्रतिवेदन को PFMS पोर्टल से डाउनलोड कर Google Sheet को अद्यतन करेंगे।
- viii. विहित प्रपत्र में सभी व्यय इकाई से व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त की जाय।
- ix. जिला कार्यालय, जिला सहित व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय की मद्वार प्रविष्टि जिला कार्यालय सहित माह की समाप्ति के उपरांत PRABANDH पोर्टल पर करने हेतु संबंधित को निर्देश देंगे (पत्रांक MIS/SS/109/2025-26/104 दिनांक 06.01.2026 छाया प्रति संलग्न)।
- x. संतोषजनक व्यय नहीं करने वाले व्यय इकाईयों को चिन्हित करते हुए यदि उन्हें PFMS E-Payment Advice बनाने में कठिनाई हो रही हो तो प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है अथवा संबंधित प्रखण्ड से अनुसमर्थन प्राप्त किया जा सकता है।
- xi. शिक्षक वेतन मद् में DPO-Establishment को दी गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समायोजन कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. प्रखण्ड स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- i. जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरुद्ध व्यय का अनुश्रवण करेंगे एवं नियमानुसार व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ii. विहित प्रपत्र में सभी व्यय इकाई से व्यय उपरान्त व्यय विवरणी प्राप्त की जाय।
- iii. सभी व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय की विवरणी प्राप्त कर प्रतिदिन मद्वार मिलान करते हुए जिला द्वारा साझा किये गये Google Sheet में मद्वार इकाईवार व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।
- iv. व्यय इकाई द्वारा किये गये व्यय से संबंधित दो प्रति में उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कराने में व्यय इकाई को सहयोग करेंगे। साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये लेखा संधारण से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में लेखा पुस्तिका का संधारण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- v. PPA तैयार करने में प्रखण्ड के लेखापाल/KGBV के लेखापाल आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विद्यालय को PFMS पोर्टल पर PPA (Advice) तैयार कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।

4. व्यय इकाई द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- i. प्राप्त Drawing Limit के विरुद्ध राज्य कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में व्यय करना एवं लेखा पुस्तिका का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।
- ii. PFMS पोर्टल के माध्यम से E-PPA (Advice) निर्गत करने में यदि कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित BRC के लेखापाल/KGBV के लेखापाल से सहयोग प्राप्त करेंगे।
- iii. Drawing Limit के विरुद्ध किये गये व्यय के संबंध में मद्वार व्यय विवरणी विहित प्रपत्र में प्रखण्ड कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- iv. किये गये व्यय के विरुद्ध दो प्रति में मद्वार उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार करेंगे एवं एक प्रति जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे और एक-एक प्रति अपने पास भविष्य में होने वाले अंकेक्षण इत्यादि कार्य हेतु सुरक्षित रखेंगे।





अतः निदेश दिया जाता है कि विभिन्न व्यय इकाई को निर्धारित किये गये Drawing Limit के विरुद्ध नियमानुसार किसी भी स्तर पर निर्धारित किये गये Drawing Limit से अधिक न तो व्यय किया जाय न ही एक मद् में उपलब्ध राशि का विचलन अन्य मद् में व्यय हेतु किया जाय। ससमय व्यय नहीं होने की स्थिति में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी/ कर्मी को चिन्हित कर नियम संगत कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित की जाय।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक : Accts/
प्रतिलिपि:-

181

निवास कुमार
राज्यपरियोजना निदेशक
दिनांक : 8 /01/2026

1. प्रशासी पदाधिकारी/ सभी संभाग प्रभारी/ असैनिक कार्य प्रबंधक (प्रभारी) राज्य स्तरीय कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), बिहार शिक्षा परियोजना, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, सभी जिले, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

EXPENDITURE AGAINST DRAWING LIMIT ALL COMPONENT EXCEPT TEACHER SALARY					
As on 30.12.2025					
SL. No.	District Name	Drawing Limit	Expenditure	Balance	Rs in Lakh % of Exp.
1	2	3	4	5	6
1	Buxer	1878.96	501.76	1377.20	26.70
2	Nalanda	3051.77	893.64	2158.12	29.28
3	Muzaffarpur	3729.52	1242.90	2486.62	33.33
4	Kishanganj	1835.81	627.04	1208.77	34.16
5	Madhubani	3462.12	1186.84	2275.29	34.28
6	Saharsha	1930.09	675.51	1254.58	35.00
7	Madhepura	2303.89	836.27	1467.62	36.30
8	Kaimur	1852.13	680.15	1171.98	36.72
9	Munger	1685.63	623.98	1061.65	37.02
10	Lakhisarai	1216.54	451.84	764.70	37.14
11	Supaul	2287.98	861.63	1426.35	37.66
12	Gopalganj	2294.85	871.18	1423.67	37.96
13	Saran	3336.58	1272.33	2064.25	38.13
14	Gaya	4255.04	1630.14	2624.90	38.31
15	Sheohar	951.29	375.76	575.53	39.50
16	Siwan	2647.59	1052.63	1594.96	39.76
17	Patna	3981.97	1588.31	2393.67	39.89
18	Banka	2510.64	1003.26	1507.38	39.96
19	Jehanabad	1461.11	594.75	866.36	40.71
20	Samastipur	3445.64	1413.69	2031.95	41.03
21	Aurangabad	2450.50	1025.93	1424.57	41.87
22	Bhagalpur	2962.80	1243.38	1719.42	41.97
23	Arwal	1082.00	469.19	612.81	43.36
24	Sheikhpura	1207.51	528.51	679.00	43.77
25	Sitamarhi	2962.36	1358.25	1604.11	45.85
26	Katihar	2829.46	1326.61	1502.85	46.89
27	Araria	2268.16	1076.19	1191.97	47.45
28	Bhojpur	2499.28	1208.97	1290.31	48.37
29	Vaishali	2853.57	1397.99	1455.58	48.99
30	Begusarai	2471.55	1216.81	1254.73	49.23
31	Nawada	2463.45	1229.92	1233.53	49.93
32	Purnea	2836.53	1419.70	1416.83	50.05
33	E. Champaran	4211.03	2120.60	2090.43	50.36
34	W Champaran	3437.49	1774.98	1662.51	51.64
35	Jamui	2208.36	1152.06	1056.30	52.17
36	Darbhanga	3086.65	1655.77	1430.88	53.64
37	Khagaria	1697.47	987.41	710.06	58.17
38	Rohtas	2746.14	2049.37	696.77	74.63
Total		96393.45	41625.25	54768.21	43.18

Titeng
05/01/2026

Hint
05/01/2026

Ch. Mayor
05/01/2026

पत्रांक:— १२२/५५०

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

को०को० पाठक,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक,
प्रारंभिक / मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बिहार।

विषय:—

वित्तीय प्रबंधन के रख-रखाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश (Guideline) प्रेषित करने के संबंध में।
महाशय,

इस पत्र के साथ एक विस्तृत दिशा-निर्देश आपके लिए संलग्न किया जा रहा है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि प्रधानाध्यापक के रूप में आपको विद्यालय के प्रबंधन/संचालन में क्या-क्या गतिविधियां करनी हैं, आपकी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां क्या हैं और उन वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा-निर्देश को भली-भांति समझ लें और किसी प्रकार की शंका होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

अनुलग्नक:— दिशा-निर्देश।

पटना, दिनांक— २०-७-२३

विश्वासभाजन,

(को०को० पाठक)

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक— २०-७-२३

ज्ञापांक १९२/१००८

प्रतिलिपि:— सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कृपया दिनांक 24.07.2023 से होने वाली संघ्याकालीन विडियो कॉफ्रैंसिंग में प्रधानाध्यापक से इस दिशा-निर्देश पर चर्चा करें और इस दिशा-निर्देश के बारे में यदि उनको कोई शंका को तो उसे दूर करें।

ज्ञापांक १९२/१०५.

प्रतिलिपि:— श्री सज्जन आर., निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. कृपया प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों को जो प्रशिक्षण बिपार्ड अथवा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में करा रहे हैं उसमें एक कक्षा केवल इस दिशा-निर्देश को समझने के लिए रखे जाएं और अनिवार्यतः इस दिशा-निर्देश में एक कक्षा में चर्चा होनी चाहिए, जिसमें दिशा-निर्देश के सभी पहलूओं को उन्हें समझाया जाए। इस दिशा-निर्देश को केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं, अपितु शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी पढ़ाया जाय। कोई शंका होने पर श्री रवि शंकर, अपर मुख्य सचिव विद्यालय विभाग परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (मो०—8544412161) से सम्पर्क किया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— २०-७-२३

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

192/५८०

पटना, दिनांक

20.07.2023

प्रतिलिपि:- अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया/अपर महानिदेशक, बिपार्ड, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान यह दिशानिर्देश समझा दिया जाय। कोई शंका होने पर श्री रवि शंकर, अपर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (मो-8544412161) से सम्पर्क किया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

191 / रेट्रैट

20.7.2023

सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी, प्रधानाध्यापकों के लिए वित्तीय खातों का
रख-रखाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश (Guidelines)।

जब भी आप विद्यालय का प्रभार लें तो सबसे पहले आपका दायित्व यह होना चाहिए कि आप देख
लें कि उक्त विद्यालय में कितने प्रकार के बैंक खाते खुले हुए हैं। इनमें कितनी राशि रखी हुई है और उस
राशि से आप क्या काम कर सकते हैं।

1) यदि आप प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो सामान्यतः आपके विद्यालय में निम्न प्रकार के 03 खाते होंगे:-

- (i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।
- (ii) मध्याहन भोजन योजना का बैंक खाता।
- (iii) बिहार सरकार का बैंक खाता।

नोट:- यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO
को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

2) यदि आप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो आपके विद्यालय में निम्न प्रकार
से 04 खाते हो सकते हैं:-

- (i) समग्र शिक्षा का बैंक खाता।
- (ii) बिहार सरकार का बैंक खाता।
- (iii) विकास कोष हेतु बैंक खाता।
- (iv) छात्र कोष हेतु बैंक खाता।

नोट:- यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना BEO
को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए।

3) किस खाते का संचालन किस प्रकार करना है और उस खाते की राशि से किस प्रकार का कार्य कराया
जाना है, का विवरण इस तालिका में दिया हुआ है।

क्र. सं.	खाता का नाम	खाते में उपलब्ध राशि से क्या-क्या कार्य कराया जा सकता है।	खाते का संचालन किस प्रकार करना है।
		3	4
1	2		
1	समग्र शिक्षा का बैंक खाता	<p>यह खाता दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में यथा:-प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय में होता है। इस खाते में 3 मुख्य मद होते हैं:-</p> <p>(क) समग्र विद्यालय अनुदान :- इसे Composite Grant के नाम से भी जाना जाता है। इस मद में अधिकतम राशि 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये की आती है। चूंकि राशि कम है, अतः इसे बहुत सावधानी से खर्च करना होता है। इस मद से आप कोई बड़ा निर्माण कार्य अथवा विद्यालय भवन की रंगाई-पुताई आदि नहीं करा पायेंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मद से केवल आप स्कूल के पठन-पाठन की सामग्री यथा-चॉक,</p>	<p>इस खाते को Single Nodal Account (समग्र शिक्षा) कहा जाता है [SNA-समग्र शिक्षा]। इसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी और जिस भी व्यक्ति को आपको भुगतान करना है, उसके लिए तथ राशि का</p>

बल्य, पंखा, डस्टर इत्यादि का भुगतान करें। साथ ही, शौचालय की सफाई प्रतिदिन कराने हेतु स्वीपर का भुगतान भी इस राशि से किया जाए।

(ख) इस खाते का दूसरा अंश निर्माण कार्य है:- इसमें आप भवन के निर्माण, भवन की मरम्मति, शौचालय निर्माण, शौचालय की मरम्मति, पेयजल, नल-जल की व्यवस्था अथवा नये चापाकल लगवाने अथवा इसके मरम्मति इत्यादि का काम करा सकते हैं।

(ग) विविध कार्य:- उपरोक्त दोनों गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियाँ विद्यालय में होती हैं, जिसमें खेल-कूद, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएँ एवं ऐसी रोचक गतिविधियाँ आप कर सकते हैं, जिससे छात्रों की रुचि तो बनी ही रहे, साथ ही उन्हें कुछ अच्छी बात सीखने को मिले। इन गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

Print Payment Advice (PPA) आपको बनाना होगा। अतः स्वाभाविक है कि इसके लिए आपके विद्यालय में कंप्यूटर/प्रिंटर होना आवश्यक है। यदि आप इस वित्तीय प्रणाली को स्वयं नहीं चला सकते हैं तो आपको एक कंप्यूटर जानकार को भी रखना पड़ सकता है। विभाग प्रयास में है कि प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर/प्रिंटर और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान किया जाए। जब तक ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध होती हैं, तब तक आप नजदीक के इंटरनेट कैफे में जाकर PPA बनवा सकते हैं या Block Resource Center (BRC) में जाकर ये PPA बनवा सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय हेतु इंटरनेट कैफे में जाने पर इस पर होने वाले व्यय का भुगतान आप इसी खाते के Composite Grant अंश से कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय इस खर्च का वहन विकास कोष/छात्र कोष से कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के लिए इस खाते में 'मेकर' प्रधानाध्यापक होते हैं एवं 'चेकर/एप्रूवर' समिति के

		<p>सचिव होते हैं। माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए इस खाते के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा नामित शिक्षक 'मेकर' होते हैं एवं 'चेकर / एप्रूवर' प्रधानाध्यापक स्वयं होते हैं।</p> <p><u>संयुक्त हस्ताक्षर</u> <u>प्रणाली</u> प्रारंभिक विद्यालय के मामले में PPA पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव करेंगे। माध्यमिक विद्यालय में PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के कोई एक शिक्षक, जिसे प्रधानाध्यापक प्राधिकृत करें।</p>
2	मध्याहन भोजन योजना का बैंक खाता	<p>यह खाता कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में ही होता है। इस खाता में उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में मध्याहन भोजन की व्यवस्था की जानी है।</p> <p>मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत आपको वर्ग 1 से 5 के लिए अधिकतम रूपये 5.45 (पाँच रुपये पैंतालीस पैसे), तथा वर्ग 6 से 8 के लिए अधिकतम रूपये 8.17 (आठ रुपये सततरह पैसे) प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से खर्च करना है।</p> <p>उदाहरण स्वरूप यदि प्रारंभिक विद्यालय में किसी तिथि को 67 छात्र उपस्थित हुए हैं तो उस तिथि को भोजन हेतु खर्च की इस प्रकार गणना करें:-</p> <p>छात्र की संख्या x प्रति बच्चा दर = व्यय होने वाली राशि</p> $67 \times \text{रुपये } 5.45 = \text{रुपये } 365.15$ <p>अर्थात्, उस दिन मध्याहन भोजन का कुल खर्च रु 365.15 हुआ। पूरे महीने की गणना इसी प्रकार करें और तदनुसार vendor को भुगतान करें।</p>

			<p>प्रधानाध्यापक रहेंगे तथा 'चेकर/एप्लूवर' समिति के सचिव होंगे। इस खाते के संचालन हेतु आप Block Resource Center (BRC) में जायें या नजदीक के इंटरनेट कैफे से सम्पर्क करें। किसी भी हालत में मध्याह्न भोजन योजना के PPA पर हस्ताक्षर करने से पहले आप बाएं तरफ में दी हुई गणना के अनुसार देख लें कि जितने छात्रों ने खाना खाया है, PPA भी उतने ही छात्रों के लिए बनाया गया है। यह खाता भी समग्र शिक्षा की भाँति संचालित होगा और PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं सचिव का होगा।</p>
3	बिहार सरकार का बैंक खाता	यह खाता प्रारंभिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय, दोनों में होता है। इस खाते में कभी-कभी ही राशि भेजी जाती है। प्रायः यह खाता निष्क्रिय रहता है। किन्तु इसे बंद करना उचित नहीं होगा। इससे राशि खर्च करने हेतु विभाग से समय-समय पर दिशानिर्देश अलग से दिया जायेगा।	इस खाते का संचालन पराम्परागत तरीके से किया जायेगा अथवा Bank Advice के माध्यम से किया जाता है। इसके संचालन में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी संयुक्त हस्ताक्षर होगा। प्रारंभिक विद्यालय के भासले में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं सचिव का होगा। माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं किसी एक शिक्षक का होगा।
4	विकास कोष का बैंक खाता	विकास कोष माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्ष 9 से 12 तक) में होता है। इस खाते से आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:-	इस खाते का संचालन भी पराम्परागत तरीके से चेक बुक अथवा Bank

(क) भवन का रख-रखाव इत्यादि।

विद्यालय भवन का रख-रखाव, रंग-रोगन, शौचालय का निर्माण, शौचालय का मरम्मति, शौचालय का रख-रखाव, पेयजल की सुविधा, बागवानी इत्यादि पर आप ये राशि खर्च कर सकते हैं। रूपये 5 (पाँच) लाख तक की राशि की कोई योजना लेने हेतु आप स्वयं सक्षम होंगे (चाहे छात्रों का नामांकन कितना भी हो)। जब आप उपरोक्त संबंधी कोई काम करना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका Estimate बनाना होगा ताकि ये पता चल सके कि उपरोक्त कार्य कराने के लिए कुल कितनी राशि लगेगी। आप Estimate बनाने का काम BEP के कनीय अभियंता से करा सकते हैं। इस Estimate का तकनीकी अनुमोदन BEP के सहायक अभियंता द्वारा दिया जायेगा। Estimate बनाने के समय आप कनीय अभियंता को अनुरोध करें कि वे उतनी राशि का ही Estimate बनायें जितनी राशि आपके विकास कोष (एवं छात्र कोष) में उपलब्ध है।

Estimate बन जाने के बाद की प्रक्रिया:—यदि Estimate 5 लाख रुपये तक का है तो कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति आप स्वयं दे सकते हैं। यह कार्य किस एजेंसी से किया जाना है, वह भी आप, स्वयं तय कर सकते हैं। आप चाहें तो यह काम BEP के माध्यम से भी करा सकते हैं।

यदि Estimate 5 लाख रुपये से अधिक का है तो आपको इसका अनुमोदन विद्यालय प्रबंधन समिति से लेना होगा। इस हेतु आप पत्र द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु अध्यक्ष से अनुरोध करें। यदि 15 दिन में बैठक आयोजित होकर उक्त योजना का अनुमोदन नहीं मिलता है तो आप ऐसी स्थिति में इस योजना का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से सीधे ले सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर इस योजना को BEP अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम से कराने हेतु अनुमोदन प्रदान करेंगे।

(ख) विद्यालय के संचालन हेतु अन्य कार्यालय सामग्री, फर्नीचर, पंखा, बल्च, स्टेशनरी, अखबार, मैगजीन इत्यादि इस मद. से क्रय किया जा सकता है।

(ग) यदि आपके विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कम्प्यूटर के शिक्षकों का अभाव है तो आप उन शिक्षकों को विभाग द्वारा तय मानदेय पर रखकर अध्यापन कार्य करा सकते हैं और उनका मानदेय का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है।

(घ) स्वीपर, रात्रि प्रहरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर का किराया, आधार मशीन का किराया, VC equipment का किराया इत्यादि का भुगतान आप विभाग द्वारा तय दर पर कर सकते हैं।

(ङ) IT उपस्कर तथा आधार मशीन एवं विडियो कॉन्फ्रैंसिंग हेतु

Advice से किया जायेगा।
चेक संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा। एक हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाध्यापक का होगा और दूसरा किसी भी अन्य शिक्षक का होगा, जिसे प्रधानाध्यापक प्राधिकृत करें।

रुपये 5 लाख से अधिक का यदि कोई कार्य है तो उसे आप विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष रखेंगे। यदि 15 दिनों के भीतर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आप सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसका प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। ₹० ५ लाख से अधिक काम कराने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें, जो जिला पदाधिकारी से परामर्श कर तय करेंगे कि काम किस एजेंसी से कराना है।

6) Feeder Area में पड़ने वाले प्राथमिक/मध्य विद्यालयों की देख-भाल:-

यह भी देखा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में तो विकास कोष/छात्र कोष में पर्याप्त राशि रहती है, किन्तु प्रारंभिक विद्यालयों में इस तरह की न तो कोई राशि होती है न ही इस तरह की कोई व्यवस्था। अतः उपरोक्त काम यदि प्रारंभिक विद्यालय में कराना पड़ जाए तो इसमें यह समस्या आती है कि इसके लिए राशि कहां से आयेगी। इस संबंध में आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का संदर्भ करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हैसियत से आप अन्य प्रारंभिक (प्राथमिक/मध्य) विद्यालयों में भी छात्र कोष एवं विकास कोष की राशि खर्च कर सकते हैं, जो प्रारंभिक विद्यालय आपके पोषक क्षेत्र (Feeder Area) में पड़ते हैं। Feeder Area, वह प्रारंभिक विद्यालय होते हैं, जहां के बच्चे कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में दाखिला लेते हैं। आपको यदि छात्र कोष/विद्यालय विकास कोष से प्रारंभिक विद्यालय का कोई काम कराना है, तो इस कार्य का अनुमोदन आप विद्यालय प्रबंध समिति से ले लें।

7) उपरोक्त का अध्ययन करने के बाद आपको यह भी स्पष्ट हो गया कि केवल 2 खाते ही ऐसे हैं यथा:- समग्र शिक्षा का बैंक खाता एवं मध्याहन भोजन योजना का बैंक खाता, जिनके संचालन के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत बनायी गयी है। अतः आपको इसे समझना होगा और स्वयं चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि आप स्वयं नहीं चला सकते हैं तो स्वयं तथा किसी शिक्षक को इंटरनेट कैफे भेजकर इसका संचालन करें। फिर भी बेहतर होगा कि आप SNA खाता स्वयं चलाना सीख लें। किसी भी हालत में इन खातों का संचालन निजी व्यक्ति/वेंडर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इन खातों के संचालन हेतु प्रक्रिया अनुलग्नक-1 में दी गई है।

8) इस दिशा निर्देश के निर्गत होने के पश्चात् इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश/पत्र निरस्त समझे जायेंगे।

ज्ञापांक 191 / ५५५

पटना, दिनांक २७-७-२०२३

(को०को० पाठक)

अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि:- सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि०/निदेशक, मध्याहन भोजन योजना/निदेशक, प्रशासन/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, SCERT/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 191/55

पटना, दिनांक २० मे २०२३

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत समग्र शिक्षा एवं मध्याहन भोजन योजना के लिए व्यय की प्रक्रिया

1. नया भेन्डर/आपूर्तिकर्ता/सेवादाता का पंजीकरण करने की विधि:-

- Step 1:- कम्प्यूटर/लैपटॉप/मोबाइल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है।
- Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Portal <https://pfms.nic.in> को खोलना होगा।
- Step 3:- सर्वप्रथम विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से Login किया जायेगा।
- Step 4:- PFMS के Home Page पर Master Section को Click किया जायेगा।
- Step 5:- Vendor Tab के अंतर्गत Add New को Click किया जायेगा।
- Step 6:- Vendor का नाम, पता, Mobile., Bank Details भरा जायेगा, तत्पश्चात् Vendor Details को Save किया जायेगा। Save करने के पश्चात् Vendor का Creation सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा।

2. भुगतान आदेश तैयार करने की प्रक्रिया:-

क्रय किये जाने वाले सामग्री से संबंधित क्रयादेश तैयार किया जायेगा, जिसमें आपूर्तिकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या, IFS Code एवं राशि का उल्लेख एवं आदेश देने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं आदेश संख्या तथा तिथि अंकित किया जायेगा।

3. बैंक एडमार्झस तैयार करने की विधि:-

मेकर के द्वारा किये जाने वाला कार्य:-

- Step 1:- कम्प्यूटर/लैपटॉप/मोबाइल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है।
- Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के Portal <https://pfms.nic.in> को खोलना होगा।
- Step 3:- विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से PFMS के Portal <https://pfms.nic.in> पर जाकर Login किया जायेगा।
- Step 4:- Expenditure Section में जाकर Add New को Click किया जायेगा।
- Step 5:- Scheme के कॉलम में समग्र शिक्षा के व्यय के लिए BR137 Samagra Shiksha 3667 एवं मध्याहन भोजन योजना के लिए BR6-BR PRADHAN MANTRI POSHAN SHAKTI NIRMAN का चयन किया जायेगा।
- Step 6:- तत्पश्चात् Vendor को Select करने के उपरान्त भुगतान से संबंधित आदेश एवं राशि को संगत (संबंधित) कॉलम में क्रयादेश संख्या एवं तिथि भरा जायेगा।
- Step 7 :- इसके उपरान्त PFMS Portal से उस बजट योजना के तहत यथा समग्र शिक्षा एवं मध्याहन भोजन योजना के बजटीय शीर्ष/गतिविधि/मद् का चयन करेंगे, उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा हेतु बजटीय शीर्ष/गतिविधि/मद् में राशि व्यय

किया जाना है, तो School Grant, असैनिक कार्य से संबंधित मद (Toilet, Drinking water, Electrician, ACR, Ramp, Major Repair) इत्यादि। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन योजना हेतु बजटीय शीर्ष -Cooking Cost/Egg/Seasonal Fruits का चयन किया जायेगा।

Step 8 :-
पोर्टल के स्क्रीन पर अंकित Instrument Type में "E-Payment Using Print Advice" Select कर Add बटन को Click किया जायेगा।

Step 9 :-
Narration for Passbook अंकित किया जायेगा।

Step 10 :-
यदि भुगतान की जाने वाली राशि में से कोई कटौती किया जाना है, तो Deduction कॉलम में दिये गये विकल्प में "Yes" का चयन किया जायेगा अन्यथा "No" का चयन किया जायेगा।

Step 11 :-
उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पश्चात् Send for Approval बटन को Click कर भुगतान हेतु Approver (Checker) को अग्रसारित किया जायेगा।

4. चेकर/एप्रूवर के द्वारा किये जाने वाला कार्य :-

Step 1 :-
विद्यालय के Checker/Approver के द्वारा अपने User ID से PFMS के Portal <http://pfms.nic.in> पर Login किया जायेगा।

Step 2 :-
Login के पश्चात् Checker के द्वारा Expenditure Section में जाकर Send For Approval के लिए भेजे गए Data को खोलकर भुगतान की जाने वाली राशि, बैंक खाता संख्या, बजट मद एवं राशि की उपलब्धता इत्यादि का मिलान करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही Data को Approve किया जायेगा। Data सही नहीं पाये जाने पर Reject बटन को Click किया जायेगा।

Step 3 :-
Data Approve करने के पश्चात् Print Payment Advice (PPA) Generate हो जायेगा। तत्पश्चात् Advice को Print किया जायेगा।

Step 4 :-
Print किये गए Print Payment Advice (PPA) पर विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अधिकृत हस्ताक्षरित के द्वारा मोहर के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा, तत्पश्चात् हस्ताक्षरित बैंक एडमाइंस को संबंधित बैंक शाखा को निर्धारित समय—सीमा यथा—10 दिनों के अंदर हस्तगत कराया जायेगा। इसके पश्चात् बैंक के द्वारा राशि संबंधित भेन्डर को भुगतान किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचना/निदेश:-—प्रधानाध्यापक/सचिव के द्वारा हर हाल में PFMS Portal के Password की गोपनीयता बरकरार रखी जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में Password को किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा। साथ ही इसके दुरुपयोग होने पर जवाबदेही तय कर आवश्यक प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जायेगी।



पत्रांक : KGBV/52/2019-20/

दिनांक : / 06 / 2025

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु
दिशानिर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके तहत राज्य में टाईप वार कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) की वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश संलग्न है।

अनुलग्नक :

1. के•जी•बी•वि. संचालन हेतु दिशानिर्देश।
2. टाईप वार संचालित के•जी•बी•वि. की सूची 390 (I)
+ 92 (III) +53 (III)+112 (IV)।
3. बेडिंग बदलाव हेतु 35 KGBV की सूची।
4. कक्ष XI-XII के लिए उत्क्रमित होने वाले
25 के•जी•बी•वि. टाईप-III की सूची।

विश्वासभाजन

₹0/-

(मयंक वरवडे)

राज्य परियोजना निदेशक)

ज्ञापांक: KGBV/52/2019-20/

दिनांक : / 06 / 2025

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, के•जी•बी•वि. क्रय समिति, सभी
जिले को सूचनार्थ प्रेषित।

₹0/-
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक: KGBV/52/2019-20/ 2725

दिनांक : 20. / 06 / 2025

प्रतिलिपि: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA)/लेखा पदाधिकारी/जिला जेन्डर समन्वयक, बिहार
शिक्षा परियोजना, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१८८५
२०१६) यु

राज्य परियोजना निदेशक

करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु दिशानिर्देश

विद्यालय के बाहर की छीजनग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त सदप्रयत्नों से "करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय" की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समग्र शिक्षा के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को कक्ष XII तक उत्क्रमित किया जाना है।

वर्तमान में राज्य में स्वीकृत करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की संख्या निम्नवत् है :-

के.जी.बी.भी.टाईप	स्वीकृत के.जी.बी.वि. की संख्या	संचालित के.जी.बी.वि. की संख्या	बालिकाओं की संख्या	अभ्युक्ति
KGBV Type- I	390	390	100	कक्षा VI-VIII
KGBV Type- III	25	25	100	कक्षा VI-VIII
	120	120	200	कक्षा VI-XII
KGBV Type- IV	139	112	100	कक्षा IX-XII

सभी करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु इनमें निर्धारित संख्या में मानव बल स्वीकृत है, जिन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 05-सदस्यीय "करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नियोजन समिति" के द्वारा विहित चयन प्रक्रिया से अल्पकालीन अनुबंध पर नियोजित किया जाता है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न टाईप के करस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में स्वीकृत मानव बल की स्थिति निम्नवत् है :-

पदनाम	टाईप-I	टाईप-III	टाईप-IV
वार्डेन-सह-शिक्षिका	1	1	1
विषय शिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका	3	6	3
लेखापाल-सह-सहायक	1	1	0 (संबंधित प्रखंड के टाईप-I के लेखापाल कार्य करेंगे)
अनुसेवक	1	2	0
रात्रि प्रहरी	1	2	2 (1 दिन एवं 1 रात्रि हेतु)
मुख्य रसोईया	1	1	1
सहायक रसोईया	2	4	2
कुल	10	17	9

४५

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु प्रत्येक वर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के बजट की स्वीकृति प्राप्त है। स्वीकृत बजट के आलोक में सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु Drawing Limit निर्धारित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश निम्नवत् है :—

1. जिन प्रखंडों में कक्षा IX-XII हेतु के.जी.बी.वि. भवन निर्मित नहीं हैं, ऐसे प्रखंडों की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की अष्टम उत्तीर्ण बालिकाएँ अपने जिलान्तर्गत अन्य प्रखंड स्थित KGBV Type-III या KGBV Type-IV में कक्षा-IX में नामांकन करवा कर समीपवर्ती संबद्ध उच्च विद्यालय में पठन-पाठन करेंगी।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्यान्य/प्रकीर्ण तथा छात्रावास रख-रखाव मद में स्वीकृत राशि से निर्धारित क्षमता में क्रमानुसार सिंगल बेड चौकी, पंखा, डायनिंग टेबल, कुर्सी, अलमीरा, इन्वर्टर आदि का क्रय किया जाएगा। सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सिंगल बेड (न कि डबल बेड) चौकी का ही क्रय किया जाएगा, ताकि बालिकाओं के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे। यदि छात्रावास में अभी भी डबल बेड उपलब्ध है, तो उन्हें अविलम्ब सिंगल बेड में परिवर्तित करवा लिया जाय।
3. जिन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री की राशि से कक्षा-VI से कक्षा-XII तक की दो-दो सेट पाठ्यपुस्तकें नहीं क्रय की जा सकी है, वहाँ उक्त मद से उनका क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
4. छात्रावास एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सभी टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में छ: CCTV कैमरे स्थापित करने हेतु पूर्व में निदेश दिया जा चुका है। इनमें से एक कैमरा कार्यालय कक्ष में भी स्थापित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार 06 से अधिक CCTV कैमरे का प्रावधान भी किया जा सकता है ताकि पूरा बाहरी परिसर कवर हो सके। सुरक्षा व्यवस्था के सतत अनुश्रवण की दृष्टि से जिलान्तर्गत सभी के.जी.बी.भी. के सभी सी.सी.टी.वी. कैमरों को Internet networking से जोड़ा जाना है ताकि जिला/राज्य स्तर से भी उनका पर्यवेक्षण किया जा सके।
5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को प्रदत्त सामान्य एवं ऊनी वस्त्रों के रंग निम्नवत होंगे :—

R/K-

टाईप I एवं III की बालिकाओं हेतु सेट-01		
कक्षा	कक्षा-VI एवं IX (टाईप IV छोड़कर)	
पोशाक	समीज	सलवार एवं दुपट्टा
रंग	सफेद	सफेद
कक्षा	कक्षा-VII, VIII, X, XI, XII (सिफ टाईप III हेतु)	
पोशाक	समीज	सलवार एवं दुपट्टा
रंग	हल्का पीला पर चेक	गहरा हरा
सेट-02		
कक्षा	कक्षा-(VI से XII) (टाईप IV छोड़कर)	
पोशाक	समीज	सलवार एवं दुपट्टा
रंग	मैरून रंग	खाकी रंग

सामान्य वस्त्र में उक्त के साथ दो गंजी, दो जाँधिया, दो रुमाल, बाल में लगाने हेतु दो रबड़ बैंड एवं दो हेयर किलप, एक सेट जूता-मोजा, एक सेट हवाई चप्पल एवं एक तौलिया भी देय होगा।

टाईप I एवं III की बालिकाओं हेतु ऊनी वस्त्र (01 सेट)		
कक्षा-VI, IX एवं XII	स्वेटर एवं स्कार्फ	मैरून रंग
कक्षा-VII एवं X	ब्लेजर	मैरून रंग
कक्षा-VIII एवं XI	इनर (उपर-नीचे का) एवं शॉल	Branded Company का
टाईप IV की बालिकाओं हेतु ऊनी वस्त्र		
स्वेटर (हरा रंग) एवं जूता		

6. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया वर्तमान माह में हर हाल में पूरी कर ली जाए।
7. सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में एक Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र उपलब्ध है। यदि इनमें Internet सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सभी के•जी•बी•भी• में Internet सुविधा वाले एक Biometric Attendance System का क्रय करते हुए स्थापना की जानी है, ताकि उन्हें जिला कार्यालय/राज्य कार्यालय से अनुश्रवण हेतु जोड़ा जा सके। Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र में सभी कर्मियों एवं बालिकाओं को प्रातः 08:00 से 09:00 बजे के बीच तथा रात्रि में 09:00 बजे उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। छात्रावास में आवासन नहीं करने वाले कर्मियों यथा—लेखापाल, अनुसेवक, रात्रि प्रहरी एवं अनुदेशिकाएँ छात्रावास में प्रतिदिन दो बार यानी आने एवं जाने के समय अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। बायोमैट्रिक्स अटेन्डेन्स

सिस्टम के आधार पर ही कार्मिकों को वेतन एवं बालिकाओं को छात्रवृति राशि प्रदान की जाएगी। Face Recognition-cum- Fingerprint Biometric Attendance संयत्र में किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में उसकी तुरंत मरम्मत करवायी जायेगी तथा उसके ठीक होने तक दूसरे Biometric Attendance संयत्र में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। किसी भी स्थिति में रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

8. भारत सरकार के निर्णयानुसार सभी केन्द्रीकृत योजनाओं में SNA एकाउन्ट प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत के॰जी॰बी॰वि॰ लिए भी कार्यालय के द्वारा समय-समय पर वित्तीय अधिसीमा निर्धारित की जाती है और प्रबंधन के द्वारा व्ययोपरान्त Online booking की जाती है। सभी जिले प्रत्येक माह में सभी के॰जी॰बी॰वि॰ से निर्धारित प्रपत्र में गतिविधिवार व्यय विवरणी प्राप्त करेंगे जिसमें प्रधानाध्यापक, लेखा कर्मी एवं वार्डन के हस्ताक्षर एवं मुहर होंगे।
9. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में वित्तीय नॉर्म्स में निम्नवत् होंगे :—

अनावर्ती (Non Recurring) मद																			
गतिविधि	के॰जी॰बी॰वि॰ टाईप-I	के॰जी॰बी॰वि॰ टाईप-III (Existing)	के॰जी॰बी॰वि॰ टाईप-III (New)	के॰जी॰बी॰वि॰ टाईप-IV															
विचावन बदलाव (कक्ष VI-XII के लिए)	विचावन बदलाव मद में के॰जी॰बी॰वि॰ प्रति वर्ष रु.75000/-व्यय किया जाएगा।	विचावन बदलाव मद में के॰जी॰बी॰वि॰ प्रति वर्ष रु.75000/-व्यय किया जाएगा। 25 के॰जी॰बी॰वि॰ जो कक्ष IX-XII के लिए उत्क्रमित हुई है, उनको फर्नीचर मद में रु.23.917/-लाख प्रति प्राप्त हुआ, जिसको इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा। साथ ही, 17 वैसे के॰जी॰बी॰वि॰ टाईप-IV जो इस वर्ष के॰जी॰बी॰वि॰ टाईप-III के रूप में संचालित होने वाले हैं, उनका उनको फर्नीचर मद में रु.23.917/-लाख प्रति प्राप्त हुआ, जिसको इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा।	विचावन बदलाव मद में के॰जी॰बी॰वि॰ प्रति वर्ष रु.75000/-व्यय किया जाएगा।																
भोजन / आवासन	<table border="1"> <tr> <td>भोजन</td> <td>रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह</td> </tr> <tr> <td>पोशाक</td> <td>सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII — इनर+शॉल रु. 1,000/-</td> <td>सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, IX एवं XII— स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII एवं X — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII एवं XI — इनर+शॉल रु. 1,000/-</td> <td>सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, IX एवं XII— स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII एवं X — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII एवं XI — इनर+शॉल रु. 1,000/-</td> <td>स्वेटर+जूता—रु. 500/-</td> </tr> <tr> <td>दैनिक उपभोग की सामग्री</td> <td>प्रति बालिका रु. 800/- तक (प्रति वर्ष)</td> </tr> </table>	भोजन	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	पोशाक	सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII — इनर+शॉल रु. 1,000/-	सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, IX एवं XII— स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII एवं X — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII एवं XI — इनर+शॉल रु. 1,000/-	सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, IX एवं XII— स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII एवं X — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII एवं XI — इनर+शॉल रु. 1,000/-	स्वेटर+जूता—रु. 500/-	दैनिक उपभोग की सामग्री	प्रति बालिका रु. 800/- तक (प्रति वर्ष)						
भोजन	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह	रु. 1,700/-प्रति बालिका प्रति माह															
पोशाक	सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII — इनर+शॉल रु. 1,000/-	सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, IX एवं XII— स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII एवं X — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII एवं XI — इनर+शॉल रु. 1,000/-	सामान्य पोशाक—रु. 1,100/-, ऊनी पोशाक—कक्ष VI, IX एवं XII— स्वेटर+स्कार्फ—रु. 350/- कक्ष VII एवं X — ब्लैजर—रु.750/- कक्ष VIII एवं XI — इनर+शॉल रु. 1,000/-	स्वेटर+जूता—रु. 500/-															
दैनिक उपभोग की सामग्री	प्रति बालिका रु. 800/- तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रु. 800/- तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रु. 800/- तक (प्रति वर्ष)	प्रति बालिका रु. 800/- तक (प्रति वर्ष)															

१५



1.1.10	स्वास्थ्य सुविधा/ Contingencies	First Aid Box, Group Insurance, साफाई सामग्री - (शाहू, फिनायल आदि) वादर/काब्ल घुलाई (आवश्यकतानुसार) दैनिक उपगोग की सामग्री (यथा - ब्रश, मंजन, साड़ुन, तेल, शैम्पु कंपी, सर्फ आदि) अथवा आकर्षित वस्तु	₹0 1000/- प्रति बच्चा/वर्ष
1.1.11	अन्यान्य/प्रकीर्ण (Miscellenious)	शैक्षणिक परिग्रामण, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम (राशि के उपलब्धता के अनुसार)	₹0 1,00,000/- प्रति वर्ष
1.1.14	रसाईपेंड प्रति छात्र प्रति माह (Stipend per child per Month)	राह-शैक्षणिक सामग्रियों/गतिविधियों के लिए	(₹ 1000/- प्रति बच्चा प्रति वर्ष)
1.1.15	स्टेशनरी/शैक्षणिक सामग्री	स्कूल बैग, कॉपी, कलम, रबर, पेरिल, कटर, Instrument Box, वाई पेपर, फ्लैकरा, सामाचार पत्र आदि।	(₹ 1000/- प्रति बच्चा प्रति वर्ष)

पूर्व से संचालित छात्रावासों के उत्क्रमण के पश्चात् उत्क्रमित छात्रावासों के लिए अलग से पूर्णकालिक लेखापाल, मुख्य रसोईया, वार्डन का पद रखीकृति नहीं है। अतः उत्क्रमित छात्रावासों के लिए पूर्णकालिक लेखापाल, मुख्य रसोईया, वार्डन का पद समान रहेंगे।

उक्त के आलोक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु प्रेषित की गई मार्गदर्शिका में वर्णित दिशा-निदेश एवं बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली के आलोक में संचालन समिति से स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक सामग्रियों का नियमानुसार क्रय कंडिका 08 में वर्णित प्रबंधन समिति की देख-रेख में कराकर सभी मूलभूत सुविधा 30 जून 2025 तक उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(मयंक वरवडे) ११६५

राज्य परियोजना निदेशक





पत्रांक :- Accts/201/2025-26/

2280

दिनांक : 26/05/2025

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्राठशि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
विहार शिक्षा परियोजना,
औरंगाबाद, बाँका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अंतर्गत 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास को व्यय हेतु राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निधारण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के AWP&B में प्रारंभिक शिक्षा के 15 Netaji Subhash Chandra Bose Avasiye Vidyalaya (Hostel) - (Rec) (Existing) के अंतर्गत गतिविधियों के लिए 15 नेजाती सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास के लिए रूपये 2,25,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) मात्र का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा नेजाती सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास को अनुलग्नक - I में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का गिरेश दिया जाय :-

- i. कार्यालय ज्ञापांक Accts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
 - ii. Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web - Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
 - iii. आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरुद्ध ही किया जाय।
 - iv. नेजाती सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास को Drawing Limit निर्धारण करने के पूर्व विवरणी की सम्पूर्ण जाँच कर ली जाय, संतुष्ट होने के पश्चात ही Drawing Limit निर्धारित करें। भिन्न होने की स्थिति में राज्य कार्यालय को तुरंत सूचित करें।
 - v. राशि का विचलन किसी अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाय।
 - vi. राशि का व्यय राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जाय।
 - vii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राठशि० एवं सर्व शिक्षा अभियान) या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा व्यय का अनुश्रवण निरंतर करेंगे।
- अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

ज्ञापांक :- Accts/201/2025-26/

2280

दिनांक : 26/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद, बाँका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, A&ST, राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

Bihar Education Project Council, Patna
 1st List of Drawing Limit for NSCBAV (2025-26)

Sl No.	Name of District	Name of Payee as in the Bank Account	Unique Agency Code	Bank Account No.	IFS Code	Drawing Limit Amount
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	AURANGABAD	NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE RESIDENCIAL HOSTAL USS BABH	BRAU00006431	40684065416	SBIN0017146	15,00,000.00
2	AURANGABAD	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE AK GOVT MS MAHARAJGANJ KUTUMBA	BRAU00006428	40689503581	SBIN0014320	15,00,000.00
3	BANKA	NETA JI SUBASHCHANDRA BOSE AWASIVY CHHTRAWAS BELHAR	BRBA00004014	40488442208	SBIN0016973	15,00,000.00
4	GAYA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MS ITWAN	BRGA00006351	41123653626	SBIN0002739	15,00,000.00
5	GAYA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MS SALAIYA IMAMGANJ	BRGA00006355	41123653637	SBIN0012615	15,00,000.00
6	JAMUI	NSCB A.M.S. CHAKAI	BRJA00003650	41123653558	SBIN0014276	15,00,000.00
7	JAMUI	NSCBABC UMS BELA	BRJA00003560	40678974826	SBIN0012538	15,00,000.00
8	JAMUI	NSCB AWASIYA BALAK CHHATRAVAS UMS HATHIYAWAR TALJHARI	BRJA00003564	40691427550	SBIN0010790	15,00,000.00
9	MUZAFFARPUR	NETAJI SUBASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL SAHEBGANJ	BRMZ00009680	41123653682	SBIN0012559	15,00,000.00
10	MUZAFFARPUR	NETAJI SUBASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MINAPUR	BRMZ00009681	41123653693	SBIN0007033	15,00,000.00
11	NAWADA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL MS CHIRAILA RAJAULI	BRNW00005497	41123653581	SBIN0010774	15,00,000.00
12	BANKA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL UMS Chakkadih	BRBA00004275	41586840038	SBIN0000243	15,00,000.00
13	NAWADA	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL BAPU INTER VIDYALAYA PANDEY GANGAUT	BRNW00005729	41586840027	SBIN0061743	15,00,000.00
14	Patna	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL T K GHOSH ACADEMY Govt. High school	BRPA00010486	41586840049	SBIN0003113	15,00,000.00
15	Patna	NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE RESIDENTIAL HOSTEL SAHID RAJENDRA PRASAD UCCHA MADHYAMIK VIDYALAYA GARDANIBAGH, PATNA	BRPA00010488	41580768600	SBIN0003518	15,00,000.00
(Two Crore Twenty Five Lakh Only)						2,25,00,000.00

*Recd 2
20/07/2025*



प्रादेशिक परिवर्तन परिषद्

५८३७ दिनांक - २२/२/२३

सेवा में

जिला शिक्षा प्रदातिकारी

अंग्रेजी बोर्ड, बाका, जमुई, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

विषय - नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास हेतु प्रावधानित आवर्ती मद की राशि से पूलगृह सुविधा के साथ वच्चों को पोशाक आदि उपलब्ध कराने के संबंध में।


प्रसंग - इस कार्यालय का पत्रांक 2606 दिनांक 03.05.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासादिक पत्र का संदर्भ लिया जाय, जिरामे दिये गये निदेश के आलोक मे सभी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास का संचालन 01 जुलाई 2023 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2023-24 मे कुल 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु आवर्ती मद में प्रति छात्रावास 25 लाख की दर से राशि का Drawing Limit निर्धारित किया गया है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास के संचालन हेतु आवर्ती मद मे प्रावधानित राशि का व्यय हेतु गतिविधिवार ब्रेकअप निम्नवत है :-

गतिविधि कोड	गतिविधि	उप गतिविधि	विविध नाम्बर	आमुखि
38 0 1	गोजन/आवासन	गोजन	रु. 1,500/- प्रति वच्चा प्रति माह	पत्रांक 5697 दिनांक 15.09.2022 द्वारा दिये गये में-मेरे अनुसार
		पोशाक	राष्ट्रान्य पोशाक, शीतकालीन पोशाक, लेन/रात्रि विभास आदि से संबंधित - 3000/- लप्पा प्रति वच्चा प्रति वर्ष	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास मार्गदर्शिका के ऊदिका 27 मे दिये गये निदेश के अनुसार
38 0 3	रटेशनरी/शैक्षिक सामग्री		रक्कुत बैग, कॉफी, कलम, रबर, पेसिल, कटर, Instrument Box, चाट पेपर, पस्टेक्सा, सामाचार पत्र आदि (रु. 1000/- प्रति वच्चा प्रति वर्ष)	वच्चों अंती आवश्यकतानुसार
38 0 11	विद्युत/जल शुल्क		विद्युती बिल+जीनेटर इंप्ल, LED बल्ब, तार एवं Water Purifier/Despensor आदि। रु. 1000/- प्रति वच्चा प्रति वर्ष	रु. 1,00,000/- प्रति वर्ष
38 0 12	स्वास्थ्य सुविधा/Contingencies		First Aid Box, Group Insurance, सफाई राष्ट्रान्य - (आङ्ग, फिनायल आदि) चादर/काम्बल धूलाई (आवश्यकतानुसार) ईंटिक उपकारी की राष्ट्रान्य (घाया-इरा, गोजन, साफ्टन, तेल, रीग्यु कपड़ी, सार्फ आदि) अथवा आवश्यक घाया	रु. 1250 प्रति वच्चा/वर्ष
38 0 13	छात्रावास रख-रखाव		निर्धारित राष्ट्रान्य हेतु रिंगल थीनी, कुर्सी, टेब्ल, अलगीरा, पंखा, इन्टर्टर, काम्बल, प्रिटर, रसोई रूम, CCTV नेटवर्किंग कीट, Face Recognition-cum-Fingerprint Biometric Attendance रायच आदि का क्रय, कार्यालय उपकारी हेतु सेशनरी एवं तानी वकार की एजी, रेजिस्टर	रु. 1,00,000/- प्रति वर्ष
38 0 14	अन्यान्य/प्रकीर्ण		शैक्षिक परिव्याप्ति, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम (राशि के उपलब्धता के अनुसार)	रु. 1,00,000/- प्रति वर्ष



बिहार शिक्षा परिषद् परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रीय भाषा परिषद् परिषद्
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना - 800004



Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtriya Bhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna - 800 004

38.0.18	Capacity Building	Capacity Building, TA/DA to warden, Teacher /Accountant etc	Rs 10,000/- per Hostel
38.0.19	38.0. योग्यता परिषद्	Martial Arts Training, योग्यता परिषद् (Rs. 10,000/-)	Rs 10,000/- Hostel

उक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोरा आवारीय छात्रावास के संचालन हेतु मार्गदर्शिका में वर्धित दिशा-निदेश एवं विहार सरकार के वित्तीय नियमावली के आलोक में संचालन समिति से स्थानीय रूप से आवश्यक सामग्रियों का नियमानुसार क्रय कड़िका 08 में वर्धित प्रबंधन समिति की देख-रेख में कराकर पोशाक एवं अन्य मूलगूत सुविधा 31 जुलाई 2023 तक करना सुनिश्चित किया जाय।


विश्वारामाजन
halim.21.07.2023

(लालिंगा)

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

झापांक- AIE/08/2018-19/ ५८३७ दिनांक- २३/७/२०२३
प्रतिलिपि-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथ. शिला एवं संग्रह शिक्षा अभियान) संबंधित जिले को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

halim.21.07.2023
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी



Tel: 0612-2667164/2667168, Fax: 0612-2667190, Email: ssabihar@gmail.com, Website www.bepessa.in



पत्रांक : E-374127/Quality/92/2025-26

4375

दिनांक : 12/11/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में CRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में CRC Grant अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए ₹ 43000/- प्रति CRC की दर से राशि स्वीकृत है।


Drawing Limit for Cluster Resource Centers (CRCs)					
Code	Activity	Recommendation			Total Amount for Drawing Limit
		Phy	Unit Cost	Fin (in Lakh)	
5.5.1.1	Maintenance Grant	8827	0.05	441.35	438.70
5.5.1.2	TLM Grant	8827	0.03	264.81	263.22
5.5.1.3	Meeting, TA	8827	0.15	1324.05	1316.10
5.5.1.4	Contingency Grant	8827	0.20	1765.40	1754.80
Total Academic support through CRC		8827	0.43	3795.61	3772.82

उक्त राशि के विरुद्ध संलग्न विवरण अनुलग्नक-। के अनुसार राज्य के कुल 8774 CRC/UCRC के लिए ₹ 43,000/- (तीनालीस हजार) प्रति CRC/UCRC के दर से कुल राशि ₹ 43,000/- का Drawing Limit निर्धारित किया जा चुका है (विवरण का सॉफ्ट प्रति अनुलग्नक - || के रूप संलग्न है)।

उपरोक्त आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में CRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

- CRC Grant अन्तर्गत Maintenance Grant की राशि से कॉम्प्लेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में CRC/UCRC के लिए निर्धारित कक्ष (यदि हो तो) के रख-रखाव, रंग-रोगन, दिवाल लेखन, उपलब्ध उपकरण आदि के रख-रखाव, मरम्मति आदि पर व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।

४४





2. CRC Grant अन्तर्गत TLM Grant की राशि का उपयोग कॉम्प्लेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में शिक्षकों के बैठक में प्राप्त सुझाव के आलोक में मॉडल TLM के निर्माण के लिए सुनिश्चित कराया जायेगा।
3. CRC Grant अन्तर्गत Meeting, TA की राशि का उपयोग कॉम्प्लेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में शिक्षकों के बैठक आदि का आयोजन तथा प्रखण्ड/जिला स्तरीय बैठक में कॉम्प्लेक्स विद्यालय के संचालक के भाग लेने हेतु नियमानुसार TA भुगतान में सुनिश्चित कराया जायेगा।
4. CRC Grant अन्तर्गत Contingency Grant की राशि का उपयोग कॉम्प्लेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) में विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्टेशनरी आदि के लिए सुनिश्चित कराया जायेगा।
5. कॉम्प्लेक्स विद्यालय (CRC/UCRC) के खाता का संचालन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5889 दिनांक 21.09.2022 एवं ज्ञापांक 4471 दिनांक 05.07.2023 (प्रति संलग्न) के आलोक में सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही, अनुदान की राशि के उपयोग हेतु राज्य कार्यालय से पूर्व में प्रेषित निदेश का अनुपालन किया जायेगा।
6. CRC Grant अन्तर्गत व्यय किये गये राशि का मूल विपत्र/अभिश्रव, रोकड़ पंजी, Payment Advice, Stock Register आदि को कॉम्प्लेक्स विद्यालय के विद्यालय प्रधान के द्वारा अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

अतएव, निदेश है कि उपरोक्त के आलोक में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

५१०१८
(मयंक वरवडे)
राज्य परियोजना निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त।

Mayank Warwade, I.A.S.
State Project Director



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक : E-330365/Quality/64/2025-26/ 2720

दिनांक : 20/6/23

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में BRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-2026 में BRC Grant अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए ₹ 2,05,000/- प्रति BRC की दर से राशि स्वीकृत है।

Block Resource Centers (BRCs)					
Code	Activity	Recommendation			Total Amount for Drawing Limit
		Phy	Unit Cost	Fin (in Lakh)	
5.5.2.4	Maintenance Grant	537	0.50	268.50	268.50
5.5.2.5	TLE/TLM Grant	537	0.05	26.85	26.85
5.5.2.6	Meeting, TA	537	0.50	268.50	268.50
5.5.2.7	Contingency Grant	537	1.00	537.00	537.00
Total for Academic support through BRC		537		1100.85	1100.85

उक्त राशि के विरुद्ध संलग्न विवरण अनुलग्नक-। के अनुसार राज्य के कुल 537 BRC/URC के लिए ₹ 2,05,000/- (दो लाख पाँच हजार) प्रति BRC/URC के दर से कुल राशि ₹ 2,05,000/- (दो लाख पाँच हजार) प्रति BRC/URC के दर से कुल राशि ₹ 1100.85 लाख का Drawing Limit निर्धारित किया जा चुका है (विवरण का सॉफ्ट प्रति अनुलग्नक -। के रूप संलग्न है)।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में BRC Grant अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय सुनिश्चित कराने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

Email:ssabihar@gmail.com

Website www.bepessa.in

Mayank Warwade, IAS,
State Project Director




नियमित विभाग परियोजना परिषद
शिक्षा भवन, कल्पना पार्क, दिल्ली,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-८००००५
Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Kalpana Park
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800005

1. BRC Grant अन्तर्गत Maintenance Grant की राशि से BRC/URC के रख-रखाव, रंग-रोगन, दिवाल लेखन, उपलब्ध उपकरण आदि के रख-रखाव, मरम्मति के साथ-साथ जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न प्रकार की सामग्री के उठाव आदि पर व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. BRC Grant अन्तर्गत TLE/TLM Grant मद में उपलब्ध करायी गई राशि को प्रखंड रत्न पर आहूत होने वाले TLM मेला/ TLM से संबंधित गतिविधि, जिसके लिए अलग से निदेश दिया जायेगा, में किया जायेगा।
3. BRC Grant अन्तर्गत Meeting, TA की राशि का उपयोग BRC/URC में शिक्षकों के बैठक आदि का आयोजन तथा जिला स्तरीय बैठक में BRC/URC के समन्वयक/साधन सेवी/लेखा सहायक के भाग लेने हेतु नियमानुसार TA भुगतान में सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न प्रकार की सामग्री के उठाव पर होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
4. BRC Grant अन्तर्गत Contingency Grant की राशि का उपयोग BRC/URC में विभिन्न प्रकार के आकस्मिक व्यय, स्टेशनरी आदि के लिए सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालय तक विभिन्न प्रकार की सामग्री के उठाव पर होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
5. BRC/URC के खाता का संचालन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5887 दिनांक 21.09.2022 (प्रति संलग्न) के आलोक में सुनिश्चित कराया जाएगा।
6. BRC Grant अन्तर्गत व्यय किये गये राशि का मूल विपत्र/अभिश्रव, रोकड़ पंजी, Payment Advice, Stock Register आदि को BRC/URC के समन्वयक/लेखा सहायक द्वारा अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
Mayank
२०१८/१२५
(मयंक वर्वड़े)
राज्य परियोजना निदेशक



Email: ssabihar@gmail.com

Website www.bepessa.in



पत्रांक : E-333337/Quality/344/2025/ 4028

दिनांक 01/09/25

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में
अनुमोदित गतिविधि "Twinning of School" के क्रियान्वयन के संबंध
में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं
बजट 2025-26 में राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच
पीयर-टू-पीयर लर्निंग हेतु जिले के निकटतम सरकारी/निजी/नवोदय/केन्द्रीय विद्यालयों
/सरकारी या निजी उच्च शिक्षा संस्थानों से या आपस में एक दूसरे के साथ सम्बद्ध कर
उनके बीच अकादमिक और राह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को साझा करने के उद्देश्य से
"Twinning of School" गतिविधि अनुमोदित है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत सभी माध्यमिक एवं उच्च
माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹10000/- प्रति विद्यालय की दर से जिलावार स्वीकृत राशि
का विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

अतएव आपके जिले के लक्ष्य अनुसार "Twinning of School" गतिविधि का
विद्यालयों में संचालन हेतु निम्नवत् निर्देश दिए जाते हैं :-

(1) सर्वप्रथम संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित संख्या में माध्यमिक/
उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निकटतम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ उच्चतर
शिक्षण संस्थानों से आपस में सम्बद्ध करते हुये विद्यालयों के एकदिवसीय भ्रमण का कैलेंडर
तैयार करके सभी विद्यालयों को सूचित किया जाय। Twinning के लिए सम्बद्ध विद्यालयों में
भ्रमण संबंधी कैलेंडर दिनांक 02.10.2025 से 10.01.2026 के मध्य निर्धारित किया जा सकता
है। साथ ही, राज्य कार्यालय को कैलेंडर संबंधी सूचना ऑनलाइन ट्रैकर के माध्यम से
दिनांक 30.09.2025 तक उपलब्ध कराई जाय।

(2) "Twinning of School" के लिए सम्बद्ध विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा
अधिकतम 50 बच्चों तथा 02 शिक्षकों का समूह बनाया जायेगा। संबद्ध विद्यालयों के
प्रधानाध्यापक आपस में समन्वय कर Twinning के लिए निर्धारित कैलेंडर अनुसार सम्बद्ध
विद्यालय के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विद्यालय में गठित बाल संसद, साइन्स वलब,
इको वलब के सदस्यों के माध्यम से विद्यालय में आवश्यक तैयारी करेंगे।



(3) Twinning के क्रम में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों तथा शिक्षकों के समूह द्वारा संबद्ध विद्यालयों में चेतना सत्र के पूर्व पहुँच कर विद्यालय के दैनिक कार्यक्रमों एवं उपलब्ध संरचना यथा – स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कॉमन रूम आदि के विद्यालय में उपयोग संबंधी घेस्ट प्रेक्टिसेस का अवलोकन किया जाएगा। साथ ही, उक्त विद्यालय के इको बलब, बाल संसद एवं वर्ग मॉनिटर के साथ उनके अनुभवों/विचार का आदान-प्रदान करेंगे।

(4) मेजबान विद्यालयों के बच्चों द्वारा विद्यालय में वाद-विवाद, भाषण, कविता/कहानी लेखन, पेटिंग, सामूहिक खेल प्रतियोगिता सांस्कृतिक गतिविधियाँ, आदि का आयोजन किया जायेगा तथा गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

(5) इस गतिविधि हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित रु0 10,000/-मात्र की राशि का Drawing Limit किया जा रहा है। उक्त राशि का उपयोग भ्रमण हेतु वाहन, विद्यालय भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु सहायक सामग्री विजेताओं के लिए शील्ड/मेडल आकस्मिकता—बैनर, स्टेशनरी, फोटोग्राफ और वीडियो (सॉफ्ट कॉपी) सहित, वीडियो रिपोर्ट लेखन आदि में किया जा सकता है।

(6) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखंड अंतर्गत संबद्ध विद्यालयों का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के द्वारा घेस्ट प्रैक्टिस वाले फोटो एवं विडियो के साथ प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को 15 जनवरी 2025 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

अतएव, तदनुसार यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

८३४४७८
(मयंक वरवडे)

राज्य परियोजना निदेशक

झौंका में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (CE & SSA),
 रामगढ़ी जिला।

विषय:- समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अन्तर्गत अनुमोदित "Formation of Science Club/Maths Club" गतिविधि के क्रियान्वयन के संबंध में।

भ्राताराम,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अन्तर्गत "Formation of Science Club/Maths Club" की गतिविधि हेतु सभी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय ₹5000/- की दर से बजट की स्वीकृति प्राप्त है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित कलब का गठन कर विद्यालयों में गतिविधियों के संचालन करने हेतु निदेश निम्नवत है :-

1. आपके जिले के सभी विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित कलब के गठन तथा गतिविधियों के आयोजन हेतु राज्य स्तर पर तैयार किये गये दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुए दिनांक 30.08.2025 तक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित कलब के गठन/पुर्णगठन कराए जाने का निदेश संवंधित प्रधानाध्यापकों को दिया जाय।
2. जिले के द्वारा प्रत्येक माह विद्यालयों से कलब अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन संबंधी अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिले द्वारा विज्ञान एवं गणित कलब के गतिविधियों से संवंधित Best Practices अन्तर्गत प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स एवं वीडियो विलप (1-2 Minute) के साथ राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतएव, उपरोक्त के आलोक में तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्ता।

[Signature]
 (मयंक वरवडी) १४/७
 राज्य परियोजना निदेशक

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एस.डी.ए.एस.ए.)
राजी जिला।

विषय:- समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता का आयोजन करने के संबंध में।

महाराष्ट्र,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में कक्षा VI-XII तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने, जिज्ञासा आधारित प्रयोग के अवसर राष्ट्रव्यवस्था कराने तथा विज्ञान/गणित एवं प्रौद्योगिकी विषय के शिक्षण को लूटीकर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता हेतु बजट अनुमोदित है। प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्न विवरणीनुसार जिलों की वित्तीय अधिसीमा तय गई जा रही है :-

Activity	School level	Block/BCR (Rs)	District (Rs)
Science Exhibition	Elementary Schools	10000	50000
	Secondary Schools	10000	50000
Quiz Competition	Elementary Schools	0	10000
	Secondary Schools	10000	0
Total Budget for combined activity at block and district		30000	1,10,000

जिले के प्रारंभिक/माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता का प्रखंड/BCR एवं जिला स्तर पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के थीम पर आधारित निम्न 03 विषयों पर विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना है।

- (क) "विकसित भारत" के लिए विज्ञान और नवाचार में संभावनाएँ (कक्षा 06 से 12 के लिए)
- (ख) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग संभावनाएँ और चुनौतियाँ हैं। (कक्षा 06 से 08 के लिए)
- (ग) व्हाइटम युग का आगाज संभावनाएँ और चुनौतियाँ हैं। (कक्षा 09 से 12 के लिए)

अतएव, प्रखंड/BCR एवं जिला स्तर पर संयुक्त रूप से प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-


- जिले के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में गठित विज्ञान एवं गणित क्लब के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश दिया जाय। सभी प्रतियोगिता हेतु सभी विषय

की भौतिक वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए जिला रत्नरीय प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। इसका उद्देश्य जिला विजेता टीम की विजेताओं को उत्कृष्ट रुप से बढ़ाव देना है। इसका उद्देश्य जिला विजेता टीम की विजेताओं को उत्कृष्ट रुप से बढ़ाव देना है।

2. प्रखंड स्तर पर प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर के विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक में एवं इन किसी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 20 सितम्बर, 2025 तक कराया जाय। प्रखंड स्तरीय आयोजन में SCERT, घटना से प्रशिक्षित शिक्षकों एवं DIET/ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के संचाय सदस्यों के सहयोग से विज्ञान एवं गणित विषय से संबंधित ग्रामोग्राम कार्यक्रमों, प्रश्नोत्तरी इत्यादि का निर्गमन किया जा सकता है। प्रखंड स्तर पर प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में रामी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त विजेता टीम की प्रतिभागिता जिला रत्नरीय प्रतियोगिता में होगी।
3. जिला रत्नरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 25 सितम्बर, 2025 तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी विधयों में प्रथम स्थान प्राप्त टीम की विवरणी राज्य कार्यालय को दिनांक—02.10.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। राज्य स्तरीय प्रातेयोगिता हेतु निदेश अलय से प्रेषित की जायेगी।
4. प्रखंड एवं जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं विवज प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निर्धारित राशि का उपयोग बैनर, आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्था, स्टेशनरी, ऑडियो विजुअल सामग्री, निर्णायकों के मानदेय एवं प्रतिभागियों के लंच/चाय/पानी, विजेताओं के पुरस्कार, प्रतिभागियों के सर्टिफिकेट आदि में किया जायेगा। साथ ही, प्रखंड एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के संपादन के उपरान्त व्ययित राशि का प्रतिवेदन प्रबंध पोर्टल पर दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के पूर्व तक अपडेट कराया जायेगा।

अतएव, तदनुसार यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(भयंक वरवडे)
राज्य परियोजना निदेशक



पत्रांक : E-337010/Quality/Kala Utsav/2023/ 4555
सेवा में,

दिनांक : 22/9/25

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
सभी जिला।

विषय : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 में अनुमोदित गतिविधि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का जिले में क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 से की गयी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बीच विविध संस्कृति परंपराओं, संगीत, पर्यटन, भोजन, खेलकूद और सर्वोत्तम प्रथाओं के परस्पर आदान-प्रदान के साथ सतत् सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार राज्य से मिजोरम एवं त्रिपुरा को सबंद्ध करते हुए विद्यार्थियों में इन राज्यों के भाषा, संस्कृति, साहित्य, खेल, पर्यटन आदि से अवगत कराने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 के कड़िका '3.1.1–2' में राज्य के सभी BRC हेतु प्रति BRC ₹ 5,000/- (पाँच हजार) मात्र की राशि अनुमोदित है।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत'(EBSB) कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में EBSB क्लब का गठन/पुनर्गठन करने एवं विद्यार्थियों के बीच सबंद्ध राज्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के विद्यालय एवं प्रखण्ड स्तर पर संचालन करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं।

1. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय के नोडल शिक्षक द्वारा प्रत्येक सप्ताह चेतना सत्र में संबद्ध राज्यों के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए अपने राज्य की भाषा तथा संबद्ध राज्य की भाषा में बच्चों को जानकारी दी जाएगी।
2. एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु भाषा संगम की सामग्री व बुकलेट Text from एवं Q.R Code , Audio and Video में दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। NCERT की वेबसाइट पर सभी राज्य की भाषा में वर्णमाला, गीत, कहावतें तथा 100 वाक्य उपलब्ध है। नोडल शिक्षक द्वारा इनके माध्यम से विद्यार्थियों को संबद्ध राज्य की भाषा से अवगत कराया जाएगा।
3. विभिन्न संचार माध्यमों, यथा – इंटरनेट का उपयोग कर मिजोरम/त्रिपुरा से संबंधित रथानीय समाचारों, पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों आदि का अवलोकन करने हेतु बच्चों को

W



प्रेरित किया जाए, ताकि वे वहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों, पर्यटन स्थलों, ल्योहारों, वेश-भूषा तथा कला एवं संस्कृति आदि से परिचित हों सकें।

4. एक भारत श्रेष्ठ भारत अन्तर्गत विद्यालयों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए सुझावित कैलेन्डर पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। सभी विद्यालयों को कैलेन्डर उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक माह विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय स्तर पर भाषण, लेखन, विविध रंगोली, चित्रकला एवं संस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए, जो मिजारम/त्रिपुरा थीम पर आधारित होगा।
5. प्रखंड स्तर पर दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में भाषण, निबंध लेखन, रंगोली, विविध चित्रकला, संस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के प्रतिभागिता होगी। इस हेतु बैनर, प्रतिभागियों एवं मूल्यांकनकर्ताओं हेतु लंच, चाय आदि तथा सर्टिफिकेट, विजेताओं हेतु पुरस्कार एवं अन्यान्य मदों में अधिकतम ₹ 5000/- (पाँच हजार) मात्र राशि का व्यय नियमानुसार किया जा सकता है।
6. जिले के विद्यालयों में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' से संबंधित गतिविधियों के अच्छे अधिकतम 20 फोटो एवं वीडियो को संकलित कर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में गतिविधियों का विवरण वीडियो/फोटोग्राफ को Google tracker पर अपलोड किया जाय।

अतएव: निदेश है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
Mayank Warwade
(मयंक वरवडे)
राज्य परियोजना निदेशक



एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए विद्यालय स्तर पर सुझावित गतिविधियों को कैलेन्डर

क्रमांक	माह	गतिविधि का नाम
1	अक्टूबर, 2025	<p>विद्यार्थियों को युग्म राज्यों की सांस्कृतिक मैटिंग की जानकारी दी जाएगी जिसमें वैशभूषा, खान-पान, रीति-रिवाज, लोकगीत, लोकनृत्य, लोकवाद्य आदि की जानकारी साझा करना।</p> <p>युग्म राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों, वैशभूषा, पेटिंग, हस्तशिल्प व संस्कृति पर विद्यार्थियों से अपने विचार व्यक्त करने तथा उन विचारों को डिरेक्ट वोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना।</p> <p>30 अक्टूबर, 2025 को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर 'सरदार वल्लभ भाई' के जीवन से जुड़ी बातों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन करना।</p>
2	नवम्बर, 2025	<p>चेतना सत्र के दौरान मिजोरम/त्रिपुरा के भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक रिथ्ति तथा खेल, पर्व-त्योहार, खान-पान, फसल एवं खेती आदि पर 3 से 5 मिनट का शिक्षकों की सहायता से बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शन करना।</p>
3	दिसम्बर, 2025	<p>बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित भाषण, निबंध लेखन, रंगोली, किंवज, चित्रकला, संस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।</p> <p>वर्ग-कक्ष में पेटिंग आदि का प्रदर्शन तथा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं के नाम एवं फोटो का विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शन करना।</p>
4	जनवरी, 2026	<p>"एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अन्तर्गत विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के द्वारा EBSB पोर्टफोलियो बनायी जायेगी, जिसमें विद्यार्थी संबद्ध राज्यों के महत्वपूर्ण तथ्यों, परिचय, ऐतिहासिक स्थान, स्वदेशी खेल एवं राज्य के बारे में महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी का नोटबुक में संधारित करेंगे।</p> <p>छात्रों का मूल्यांकन उनके द्वारा तैयार नोटबुक के आधार पर किया जाये। श्रेष्ठ पोर्टफोलियो बनाने वाले तीन छात्रों को विद्यालय द्वारा सम्मानित किया जाये।</p>
5	फरवरी, 2026	<p>बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा की प्राकृतिक संपदाओं, यथा – नदियों, पहाड़ों एवं वर्षा विषय पर तथा खान-पान एवं कृषि विषय पर चेतना सत्र में बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरण का आयोजन करना।</p> <p>बिहार, मिजोरम एवं त्रिपुरा से संबंधित फैशन ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन करना।</p>



पत्रांक :- Accts/201/2025-26/
सेवा में,

५५२०

दिनांक : २२/०९/२०२५

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्राथिंशु एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समितियों को व्यय हेतु Drawing Limit निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण के तहत 38 जिलों के 72119 विद्यालय शिक्षा समिति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के सामान्य मद् के Youth & Eco Club गतिविधियों में व्यय हेतु कुल रूपये 61,76,60,000/- (एकसठ करोड़ छिह्न्तर लाख साठ हजार) मात्र (जिलावार विवरणी अनुलग्नक - I के रूप में संलग्न) का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय शिक्षा समितियों के लिए अनुलग्नक - II (Soft Copy) में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का निर्देश दिया जाय :-

- i. कार्यालय ज्ञापांक Accts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
 - ii. Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web - Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
 - iii. आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरुद्ध ही किया जाय।
 - iv. राज्य कार्यालय से विद्यालयों को निर्धारित Drawing की विवरणी को जाँच ली जाय, तत्पश्चात् विद्यालयों को Drawing Limit निर्धारित की जाय।
 - v. राशि का विचलन किसी अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाय।
 - vi. राशि का व्यय राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जाय।
 - vii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथिंशु एवं सर्व शिक्षा अभियान) या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा व्यय का अनुश्रवण निरंतर करेंगे।
- अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ज्ञापांक :- Accts/201/2025-26/

५५२०

२०११२५
(मयंक वरवडे)
राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक : २२/०९/२०२५

प्रतिलिपि :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, गुणवत्ता शिक्षा, राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२०११२५
राज्य परियोजना निदेशक

Bihar Education Project council Patna
Drawing Limit - Youth & ECO Club 2025-26

SL NO	Name of District	Count of Name of SMC/SMDC	Drawing limit Amount
1	ARARIA (1007)	1956	15085000.00
2	ARWAL (1038)	580	5000000.00
3	AURANGABAD (1034)	2160	18270000.00
4	BANKA (1023)	2118	17055000.00
5	BEGUSARAI (1020)	1542	14210000.00
6	BHAGALPUR (1022)	1834	16410000.00
7	BHOJPUR (1029)	2052	17675000.00
8	BUXAR (1030)	1228	11415000.00
9	DARBHANGA (1013)	2335	19150000.00
10	E. CHAMPARAN (1002)	3535	32290000.00
11	GAYA (1035)	3136	26215000.00
12	GOPALGANJ (1015)	1849	16410000.00
13	JAMUI (1037)	1632	13225000.00
14	JEHANABAD (1033)	921	7435000.00
15	KAIMUR (1031)	1162	9505000.00
16	KATIHAR (1010)	1874	15630000.00
17	KHAGARIA (1021)	1101	9970000.00
18	KISHANGANJ (1008)	1370	10465000.00
19	LAKHISARAI (1025)	762	6225000.00
20	MADHEPURA (1011)	1626	14880000.00
21	MADHUBANI (1005)	3065	25805000.00
22	MUNGER (1024)	1044	9460000.00
23	MUZAFFARPUR (1014)	3061	26035000.00
24	NALANDA (1027)	2325	19835000.00
25	NAWADA (1036)	1700	14045000.00
26	PATNA (1028)	3425	29855000.00
27	PURNIA (1009)	2169	16775000.00
28	ROHTAS (1032)	2159	18265000.00
29	SAHARSA (1012)	1301	10885000.00
30	SAMASTIPUR (1019)	2685	23595000.00
31	SARAN (1017)	2676	24060000.00
32	SHEIKHPURA (1026)	489	4240000.00
33	SHEOHAR (1003)	413	3560000.00
34	SITAMARHI (1004)	2068	18300000.00
35	SIWAN (1016)	2237	20180000.00
36	SUPAUL (1006)	1643	12775000.00
37	VAISHALI (1018)	2179	19470000.00
38	W. CHAMPARAN (1001)	2707	24000000.00
	Grand Total	72119	617660000.00

Rev. 2
16/09/2025

Mayur Works
 Manish Mayank
 Chief Accounts Officer (AO)
 Bihar Education Project Council
 Patna
 Ph.no:- 8546

16/09/2025
 State Project Director
 Bihar Education Project Council
 PATNA



पत्रांक :- Accts/201/2025-26/ 2862
सेवा में,

दिनांक :- ०/ 07/2025

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रांशि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत विद्यालय शिक्षा समिति को व्यय हेतु Drawing Limit निर्धारण करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राशि विमुक्ति (Release of Funds) एवं उसके व्यय के प्रक्रिया का पुनर्निधारण के तहत 38 जिलों के 38 विद्यालय शिक्षा समितियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में IE संभाग अंतर्गत SPARSH गतिविधि में व्यय हेतु कुल रूपये 1,41,96,800/- (एक करोड़ एकतालीस लाख छियान्वे हजार आठ सौ) मात्र का Drawing Limit for Child Agencies निर्धारित किया गया है।

उक्त के आलोक में जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय शिक्षा समितियों के लिए अनुलग्नक - I में अंकित राशि को व्यय करने हेतु PFMS के Web Portal पर Drawing Limit निर्धारित किया जाय एवं निम्नानुसार राशि व्यय करने का निर्देश दिया जाय :-

- कार्यालय ज्ञापांक Accts/272/2016-17/Part-III/6861 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाय।
- Vendor / Beneficiary को भुगतान PFMS के Web - Portal से निर्गत E-Payment Print Advice से किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में अन्य Banking Instrument से भुगतान नहीं किया जाय।
- आवंटित राशि का व्यय AWP&B 2025-26 में अनुमोदित बजट के विरुद्ध ही किया जाय।
- विद्यालयों को Drawing Limit निर्धारण करने के पूर्व विवरणी में उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच कर ली जाय, साथ ही इसका मिलान PFMS के Web-Portal से भी कर ली जाय। भिन्न होने की स्थिति में राज्य कार्यालय को सूचित करें।
अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
[Signature]
(मयंक वरवड़)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक :- Accts/201/2025-26/ 2862

दिनांक :- ०/ 07/2025

प्रतिलिपि :-

- जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेपित।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (IE), राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

[Signature]
राज्य परियोजना निदेशक
R.



पत्रांक : Equity/2025-26/93/.५९९४
सेवा में,

दिनांक : ३०/१२/२०२५

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE&SSA)
सभी जिले।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए Equity संभाग के अन्तर्गत Adolescent Programme for Girls कार्यक्रम के संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अकित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में समग्र शिक्षा के Equity संभाग के अन्तर्गत अनुमोदित बजट के आलोक में प्रत्येक जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Adolescent Programme for Girls कार्यक्रम का संचालन करने हेतु निदेश है कि :—

- Equity कार्यक्रम हेतु राज्य रत्तर पर प्रशिक्षित मुख्य प्रशिक्षकों के माध्यम से जिला स्तर पर सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एक-एक शिक्षिका (महिला शिक्षिका के विद्यालय में पदरथापित नहीं होने की स्थिति में हीं पुरुष शिक्षक) को Adolescent Programme for Girls कार्यक्रम के नोडल शिक्षक के रूप में नामित कर उनको जिला स्तर पर एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण वैसे प्रशिक्षण स्थल पर कराया जाए जहाँ स्मार्ट TV, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो।
- जिले के प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में Adolescent Programme for Girls से संबंधित 'सखी सहायता डेस्क' तैयार करवाया जाए जिसपर सखी सहायता डेस्क लिखा हुआ एक बैनर/फ्लैक्स उपलब्ध कराया जाए। जिला स्तर पर बैनर का प्रारूप तैयार करते हुये विद्यालय के नाम एवं प्रखंड की विवरणी के साथ प्रिंट करवाकर संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करवाया जाए। सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराये गये बैनर में एकरूपता का ध्यान रखा जाए।
- सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को किशोरी स्वास्थ्य से संबंधित 'प्राथमिक चिकित्सा किट' उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए नियमानुसार जिला स्तर पर किट हेतु आवश्यक सामग्री का चयन कर क्रय करते हुये संबंधित उक्त सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।
- विद्यालयों में कार्यक्रम के संचालन के उपरांत संबंधित विद्यालयों की बालिकाओं के बीच विषयानुरूप प्रतियोगिता (वाद-विवाद/चित्रांकन/निबंध/आशु-भाषण/भाषण) का आयोजन जिला स्तर पर कराया जाए।
- कार्यक्रम के प्रभावों/सक्सेस स्टोरी/बेस्ट प्रैक्टिस से संबंधित अभिलेखीकरण/दस्तावेजीकरण का कार्य जिला स्तर पर कराया जाए।
- विद्यालय स्तर पर निम्नांकित गतिविधियों के संपादन हेतु निदेशित किया जाय—
 - सभी संबंधित विद्यालयों में सखी सहायता डेस्क की स्थापना हेतु एक कक्ष/कक्ष का एक भाग चिन्हित कर आवश्यकतानुसार दीवारों की पुताई/दिवाल-लेखन/साज-सज्जा तथा टेबल-कुर्सी/अलमारी/एक छोटा फाइल कैबिनेट/बॉक्स इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत राशि विद्यालयों को निर्गत किया जाए एवं प्रधानाध्यापक को निदेशित किया जाय।
 - स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर विद्यालय स्तर पर किशोरियों में अनिमिया की जांच हेतु त्रैमासिक "T-3" (Test, Talk, Treatment) कैम्प का आयोजन करने हेतु सभी प्रधानाध्यापक को निदेशित किया जाय।
 - विद्यालय स्तर पर किशोरी स्वास्थ्य दिवस का आयोजन (हर माह की 8 तारीख को राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम) करवाया जाए, जिसमें अतिथि (जिला स्तरीय पदाधिकारी/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी/जन प्रतिनिधि एवं अन्य) को आमंत्रित किया जा सकता है। आयोजन के दौरान विविध व्यवस्था (स्वागत, अल्पाहार, पुरस्कार, माइक इत्यादि) की जा सकती है।
 - प्रत्येक शनिवार को विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों का आयोजन अनिवार्य रूप से कराया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर होने वाली गतिविधियों का अभिलेखीकरण (फोटो सहित विस्तृत



पत्रांक:- MIS/SS/109/2025-26/ 104
सेवा में,

दिनांक : 06/01/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले, बिहार।

विषय : समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं भौतिक वित्तीय प्रगति को प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि कराने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक-2720 दिनांक 20.06.2025, पत्रांक 3881 दिनांक 21. 08.2025, पत्रांक 3883 दिनांक 21.08.2025, पत्रांक 4078 दिनांक 01.09.2025, पत्रांक 4375 दिनांक 12.09.2025, पत्रांक 4520 दिनांक 22.09.2025, पत्रांक 4555 दिनांक 22.09.2025 एवं पत्रांक 5043 दिनांक 04.12.2025।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में स्वीकृत गतिविधियों के विद्यालय/प्रखंड/जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रसंगाधीन पत्रों (प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत निदेश दिए गए हैं। उक्त क्रम में जिलावार प्रबंध पोर्टल पर दिनांक 05.01.2026 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि से संबंधित गतिविधिवार विवरण अनुलग्नक 01 के रूप में संलग्न है।

प्रबंध पोर्टल पर गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट है कि अधिकांश जिलों में गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति काफी कम या शून्य है।

अतएव, निदेश दिया जाता है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में स्वीकृत गतिविधियों यथा— Support to BRC/CRC, RAA, Twining of school, Youth Eco Club, Science Math Lab, EBSB, Pre-Primary Activity etc के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन विद्यालय/प्रखंड/जिला स्तर पर कराते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को प्रबंध पोर्टल पर अपडेट कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

(नवीन कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक